रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2000/आषाढ़ 21, 1922

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2000/ASADHA 21, 1922

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं. 82

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2000

सं. ई. पी. 41(1)/2000.— खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37 वां) की धारा – 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व मंजूरी से भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है :–

(1) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोडकर, इन्हें, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 में :–

(I) विनियम–I के उप विनियम (3) के खण्ड.5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रति स्थापित किया जाएगा और इसे । मई, 1995 से प्रतिस्थापित माना जाएगा :–

"(v) निगम के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें अस्थायी/कैजुअल/दिहाड़ी/पीस रेट पर सीधे नियुक्त किया गया . . ।"

(II) विनियम 13 के उप–विनियम (1) के निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित होगा और इसे 1 मई, 1995 से प्रतिस्थापित माना जाएगा जो इस प्रकार है :–

"1. विनियम । के उप–खण्ड 3 (4) के अंतर्गत आने वाला निगम का प्रत्येक सदस्य और उप खण्ड 3 (5) के अधीन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी निगम में उसकी नियुक्ति होने पर उसे सेवा ग्रहण की तारीख से फंड का सदस्य बनने का पात्र होगा तथा उसके लिए यह जरूरी होगा ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में दिए प्रावधानों तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की समान पद्धति पर आधारित हैं जिन्हें, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, के दिनांक 17.4.1995 के आदेशों का पालन करते हुए दिनांक 28.6.95 के परिपत्र सं. 10 (विविध)/91/ई.1 के माध्यम से दिनांक 1.5.95 से संशोधित कर दिया गया है । चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार के दिशानिर्देश हैं, इसलिए यह निगम पूर्व प्रभाव से इसका पालन करने के लिए बाध्य है । यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों की पूर्व-व्याप्ति से, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिन पर ये विनियम लागू हैं ।

(iii) विनियम 13 के उप-विनियम (1) की व्याख्या के लिए निम्नलिखित व्याख्या प्रति स्थापित की जाएगी और इसे 1 मई, 1995 से प्रतिस्थापित माना जाएगा जो कि इस प्रकार है :-

"स्पष्टीकरण : यदि उपरोक्त संदर्भित व्यक्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 / कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत सदस्य रहा है और उसने निगम में अपने सेवाग्रहण के समय उसमें जमा भविष्य निधि राशि नहीं निकाली है तो वह निगम में अपनी नियुक्ति की तारीख से फंड का सदस्य बनने का पात्र होगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

ऐसे कर्मचारी जिनकी सदस्यता अंशदायी भविष्य निधि में पहले से ही बनी हुई है के लिए स्थायी बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आवश्यक संशोधन किए गए हैं । यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व प्रभाव का निगम के ऐसे किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनपर यह लागू होता है ।

(iv) विनियम 15 के उपनियम (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे 22 सितम्बर, 1997 से प्रतिस्थापित माना जाएगा :-

"(1) प्रत्येक सदस्य, माह के लिए उसे मिलने वाले वेतन में से 12 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह फंड में अंशदान देगा । इसके अतिरिक्त, सदस्य, अंशदायी भविष्य निधि के लिए कितनी भी राशि का अंशदान कर सकता है बशर्ते कि उसका समग्र अंशदान, किसी भी दशा में उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो ।

(2) प्रत्येक सदस्य हर साल मार्च में उसके मासिक अंशदान की राशि (यदि वह 12 % से अधिक अंशदान करने का इच्छुक है) की सूचना देगा ताकि 1 अप्रैल, से उसकी कटौती आरंभ की जा सके । सूचित किये गये ऐसे अंशदान की राशि को वर्ष के दौरान किसी भी समय एकबार बढ़ाया या घटाया जा सकता है बशर्ते कि जब यह अंशदान घटाया जाए तो वह माह में उसे मिलने वाले वेतन के 12 प्रतिशत से कम न हो ।

(3) निगम, नियोक्ता के अंशदान के रूप में माह के दौरान सदस्य द्वारा अर्जित वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर की राशि का फंड में अंशदान करेगा ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967, भारत सरकार के दिनांक 22.9.97 के अध्यादेश सं 17/1997 के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध विनियम अधिनियम, 1952 में 22 सितम्बर, 1997 से किए गए संशोधनों के अनुसार बनाया गया है जिन्हें सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिनांक 29.10.97 के पत्र सं. 2

(34)/86-डी पी ई (डब्ल्यू सी) के जरिये अग्रेषित किया गया है । अतः भारतीय खाद्य निगम के लिए 22 सितम्बर, 1997 से मासिक अंशदान में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया । यह प्रमाणित किया जाता है कि इसे पूर्व व्याप्ति से लागू करने से निगम के किसी भी ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके लिए ये विनियम लागू हैं ।

(5) विनियम 20 के उप विनियम (1) का स्थान निम्नलिखित उप विनियम लेगा जो इस प्रकार है :-

"(1) प्रत्येक सदस्य फंड का सदस्य बनने के तुरंत बाद परिशिष्ट-I में दिए गए फार्म में एक या अधिक लोगों को नामांकित करेगा जिन्हें, सदस्य की मृत्यु के मामले में निधि में उसके खाते में जमा राशि के देय होने से पहले अथवा देय होने पर लेकिन वास्तविक भुगतान न किए जाने की दशा में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

व्यवस्था है कि यदि नामांकन करते समय सदस्य का परिवार है तो वह परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन नहीं करेगा । यदि नामांकन किसी नाबालिग के पक्ष में है तो सदस्य इस विनियमों के उद्देश्य से नामित व्यक्ति की सदस्य से पहले मृत्यु हो जाने की दशा में नाबालिग नामित व्यक्ति का अभिभावक बनाने के बारे में विनियम 2 (एफ) में दी गई व्याख्या के अनुसार अपने परिवार के किसी बालिग व्यक्ति को नियुक्त करेगा । यदि परिवार में कोई बालिग व्यक्ति नहीं है तो सदस्य अपने विवेक से किसी भी अन्य व्यक्ति को नाबालिक नामित व्यक्ति का अभिभावक नियुक्त कर सकता है ।"

के. एन. सिंह, सचिव

[विज्ञापन सं.-III/IV/108/2000/असाधारण]

पाद टिप्पण :— **भा.खा.नि. (अं.भ.नि.)विनियम, 1967 में किए गए पिछले संशोधनों की सूची**

क्र.सं	शीर्ष	राजपत्र का भाग	अधिसूचना की तिथि
1.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) विनियम, 1967	भाग III धारा-(iv)	27.05.1967
2.	भा.खा.नि (अं.भ.नि.) (प्रथम संशोधन)	– वही –	06.06.1969
3.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969	– वही –	08.09.1969
4.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.)(तीसरा संशोधन)विनियम, 1980	– वही –	20.12.1980
5	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(चौथा संशोधन)विनियम, 1982	– वही –	23.01 1982
6.	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(पांचवां संशोधन)विनियम, 1982	– वही –	28 08 1982
7.	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(छटा संशोधन)विनियम, 1983	– वही –	07.05.1983
8.	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(सातवां संशोधन)विनियम, 1983	– वही –	27.08.1983
9.	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(आठवां संशोधन)विनियम, 1987	– वही –	03.09.1987
10	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(नौवां संशोधन)विनियम, 1988	– वही –	06.07.1988
11.	भा.खा.नि.(अं भ.नि)(दसवां संशोधन)विनियम, 1989	– वही –	10.02.1989
12.	भा.खा.नि.(अं.भ.नि.)(प्रथम संशोधन)विनियम, 1990	– वही –	01 03 1990
13	भा खा [illegible] (अं [illegible] नि)(दसरा संशो[illegible])विनियम 1990	[illegible]	19 0[illegible] 1990

14.	भा.खा.नि (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1991	– वही –	09 08 1991
15.	भा.खा.नि (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1992	– वही –	20.02.1992
16.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992	– वही –	17.11.1992
17.	भा.खा.नि (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1993	– वही –	15.06,1993
18.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1995	– वही –	17.01.1995
19.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1995	– वही –	07.12 1995
20.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (– संशोधन) विनियम, 2000	– वही –	

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2000

सं. ई. पी. 41 (1)/2000.—भारत के असाधारण राजपत्र, 1988, भाग-III, खंड-4 दिनांकित 6 जुलाई, 1988, अधिसूचना सं. 47/एफ. सं. ई. पी. 41-1/87 दिनांकित 29 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित भारतीय खाद्य निगम (अंशदाई भविष्य निधि) (9वां संशोधन) विनियम, 1988 में विनियम 1 के उप-नियम (3) के खण्ड (v) 31 जनवरी, 1981 से बदले माने जाएंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (अंशदाई भविष्य निधि) विनियम, 1967 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में निहित प्रावधानों की तरह बनाया गया है । भारत सरकार ने अधिसूचना सं. जी एस आर – 130 दिनांकित 31 जनवरी, 1981 जारी की जिसे भारत के राजपत्र के भाग-II धारा 3, उप-धारा (1) में प्रकाशित किया गया । चूंकि सरकारी अधिसूचना निगम में उपलब्ध नहीं थी अत: अंशदाई भविष्य निधि विनियम, 1967 में संशोधन 29 जून, 1988 से प्रभावी किया गया । इस पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी तथा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन के क्रियान्वयन के लिए जोर दिया । यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व व्यापी प्रभाव देने से इसका किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके लिए ये विनियम लागू होंगे ।

के. एन. सिंह, सचिव

[विज्ञापन सं.-III/IV/108/2000/असाधारण]

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 82

New Delhi, the 12th July, 2000

No. EP. 41 (1)/2000.—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Amendment Regulations, 2000.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, these shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 :-

(i) for clause (v) of sub-regulation (3) of regulation 1, the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of May, 1995, namely:-

"(v) to such employees of the Corporation as were appointed on temporary/casual/daily wages/piece rated employed directly."

(ii)for sub-regulation (1) of regulation 13, the following sub-regulation shall be substituted and shall be deemed to have been subsituted with effect from the 1st day of May, 1995, namely:-

"1. Every member of the Corporation covered under sub-clause 3(iv) of Regulation 1, as also every person covered under sub-clause 3(v) ibid shall be entitled and required to become a member of the Fund from the date of joining on his/her appointment in the Corporation."

EXPLANATORY MEMORANDUM :-

The Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 are based on the similar pattern of the provisions as contained in the Employees Provident Funds Scheme and Miscellaneous Provisions Act, 1952 which has been amended with effect from 1.5.95 vide their Circular No. 10 (Misc.)/91/E.I dated the 28.6.95, in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India, dated the 17th April, 1995. As there are Government directives to Public Sector Enterprises, this Corporation is under an obligation to implement the same with retrospective effect. It is certified that by giving retrospective effect to these Regulations, it will not prejudicially effect the interests of any person to whom these regulations are applicable.

(iii)For the explanation of sub-regulation (1) of regulation 13, the following explanation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of May, 1995, namely :-

"EXPLANATION : If person referred to above has been a member of Contributory Provident Fund covered under the Provident Funds Act, 1925/Employees' Provident Fund Scheme, 1952, and has not withdrawn the Provident Fund amount standing to his/her credit at the time of his/her joining the Corporation, he/she shall be eligible to become a member of the Fund from the date of his/her appointment, in the Corporation."

EXPLANATORY MEMORANDUM :

The necessary amendment has been carried out in pursuance to the guidelines of the Board of Trustees for such employees who are already continuing as members of the Contributory Provident Fund. It is certified that retrospective effect will

not have any adverse effect to any of the employees of the Corporation to whom it will apply.

(iv) For sub-regulations (1), (2) and (3) of regulation 15, the following sub-regulations shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 22nd September, 1997, namely :-

" (1) Every member shall subscribe to the fund each month at the rate of 12 per cent of the pay earned by him for the month. In addition to this, a member may subscribe towards Contributory Provident Fund any amount subject to the condition that his total subscription will not, in any case, exceed his total emoluments.

(2) Every member shall give an intimation as to the amount of his monthly subscription (in case he desires to subscribe more than 12 per cent) in March, every year so as to become effective from 1st April. The amount of subscription so intimated may be enhanced or reduced once at any time during the course of the year provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than 12 per cent of the pay earned by him for the month.

(3) The Corporation shall contribute to the fund an amount equal to 12 per cent of the pay earned by the member during the month as the employer's contribution."

EXPLANATORY MEMORANDUM :

The Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 are framed in accordance with the amendments carried out in the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, vide Government of India Ordinance No. 17 of 1997, dated the 22.9.97, w.e.f. 22nd September, 1997 which have been forwarded by the Department of Public Enterprises vide their letter No. 2(34)/86-DPE(WC), dated the 29.10.97 for necessary action by the Public Sector Undertaking concerned. It has thus become obligatory on the part of the Food Corporation of India to enhance the monthly subscription with effect from 22nd September, 1997. It is certified that by giving retrospective effect, it will not have any adverse effect to any of the employee of the Corporation to whom these Regulations are applicable.

(v) For sub-regulation (1) of regulation 20, the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) Every member shall, as may be after joining the fund make a nomination in the form set out in Annexure-I conferring one or more persons the right to receive the amount which may stand to his credit in the Fund in the event of his death before that amount has become payable or having become payable has not been actually paid.

Provided that if, at the time of making nomination the member has a family, the nomination shall not be in favour of any person or person other than the members of his family. Where the nomination is in favour of a minor, the member may, for the purpose of these regulations, appoint a major person of [illegible] the guardian of

nominee and the guardian so appointed. If there is no major person in the family, the member may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee."

K.N. SINGH, Secy.

[No Advt./III/IV/108/2000-Extv.]

Foot Note :— List of Previous Amendments to the FCI (CPF) Regulations, 1967

Sl. No.	Title	Part of Gazette	Date of Notification
1	FCI (CPF) Regulation, 1967	Part III Sec. IV	27-05-1967
2.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1969	—do—	06-06-1969
3.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1969	—do—	08-09-1969
4.	FCI (CPF) (3rd Amendment) Regulations, 1980	—do—	20-12-1980
5.	FCI (CPF) (4th Amendment) Regulations, 1982	—do—	23-01-1982
6.	FCI (CPF) (5th Amendment) Regulations, 1982	—do—	28-08-1982
7.	FCI (CPF) (6th Amendment) Regulations, 1983	—do—	07-05-1983
8.	FCI (CPF) (7th Amendment) Regulations, 1983	—do—	27-08-1983
9.	FCI (CPF) (8th Amendment) Regulations, 1987	—do—	03-09-1987
10.	FCI (CPF) (9th Amendment) Regulations, 1988	—do—	06-07-1988
11	FCI (CPF) (10th Amendment) Regulations, 1989	—do—	10-02-1989
12.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1990	—do—	01-03-1990
13.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1990	—do—	19-04-1990
14.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1991	—do—	09-08-1991
15.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1992	—do—	20-02-1992
16.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1992	—do—	17-11-1992
17.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1993	—do—	15-06-1993
18.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1995	—do—	17-01-1995
19.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1995	—do—	07-12-1995
20.	FCI (CPF) Amendment Regulations, 2000	—do—	

CORRIGENDA

New Delhi, the 12th July, 2000

No. EP. 41 (1)/2000.—In the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) (9th Amendment) Regulations, 1988, published vide notification No. 47/F No. E.P. 41-1/87 dated the 29th June, 1988 of the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 6th July, 1988, clause (v) of sub-regulation (3) of regulation 1 shall be deemed to have been substituted with effect from 31st January, 1981.

2. The Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 is framed on the similar provisions contained in Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Government of India issued notification No. GSR-130 dated the 31st January, 1981, published in part II section 3, sub-section (i) of the Gazette of India. Since the Government notification was not available with the Corporation, the amendment in the Contributory Provident Fund Regulations, 1967 was given effect from 29th June, 1988. This was objected to by the Enforcement Officers from the Regional Provident Fund Commissioner and insisted for the implementation of the amendment from retrospective effect. It is certified that by giving retrospective effect it will not prejudicially effect the interest of any person to whom these Regulations will apply.

K.N. SINGH, Secy

[No. Advt./III/IV/108/2000-Extv.]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.